फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मदन बनाम केसर

केस संख्या : 24/19 डावा

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	15/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। व०फु० उपस्थित। प्रा० पत्र 07R11 व 02R2 एवं 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या 24/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक –30.01.2019

1. मदन लाल पुत्र पन्ना लाल
2. मोहन लाल पुत्र पन्ना लाल
3. सांवरमल पुत्र पन्ना लाल
4. श्रवण लाल पुत्र पन्ना लाल (फौत)
   4/1. धापा देवी पत्नी श्रवण
   4/2. महेश पुत्र श्रवण
   4/3 काना पुत्र श्रवण
   4/4 कंचन पुत्री श्रवण
5. घीसा लाल पुत्र पन्ना लाल
6. सुरज मल पुत्र पन्ना लाल
7. भागीरथ पुत्र पन्ना लाल समस्त जाति बागडा निवासी कल्याणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

बनाम

1. केसर पुत्र सुन्दर लाल बनाम
2. सत्यनारायण उर्फ दाना पुत्र सुन्दर लाल
3. भगवान सहाय पुत्र सुन्दर लाल
4. संतोष कुमार सुन्दर लाल
5. शान्ति पत्नी सुन्दर लाल (फौत)
6. रूडमल पुत्र रामेश्वर
7. रामपाल पुत्र रामेश्वर
8. कल्याण पुत्र भूरा
9. रामनिवास पुत्र भूरा
10. शंकर लाल पुत्र लक्ष्मण
11. भगवान सहाय पुत्र लक्ष्मण
12. छीतर पुत्र नरसा
13. कजोड पुत्र दुल्ला
14.. रामदयाल पुत्र दुल्ला
15. ग्यारसी पत्नी दुल्ला
16. रामसहाय पुत्र बींजा
17. शंकर लाल पुत्र मुरली
18. गणपत पुत्र मुरली
19. मुकेश पुत्र मुरली
20. राजेन्द्र पुत्र मुरली
21. चौथू पुत्र भूरा (मृतक)
   21/1 गोमा देवी पत्नी चौथू
   जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील आमेर
   21/2 रामा पुत्री चौथू

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

21/3 सुनिल पुत्र आंची पुत्री चौथू
21/4 सुभाष पुत्र आंची पुत्री चौथू जाति बा[illegible] निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
22. तीजा पत्नी किशना
23. सीता देवी पुत्री किशन
24. सुनिता पुत्री किशन पत्नी गोपाल निवासी ग्राम सरणा तहसील झोटवाडा वाया खोराबिसल 302012 जयपुर ।
25. भागीरथ पुत्र किशन लाल
26. रामनारायण पुत्र किशन लाल
27. नरेन्द्र पुत्र किशन लाल
28. गजानन्द पुत्र किशन लाल
29. जगदीश पुत्र बींजा फौत
    29/1. मंगली पत्नी जगदीश
    29/2. प्रहलाद पुत्र जगदीश
    29/3 रूडमल पुत्र जगदीश
    29/4 राकेश पुत्र जगदीश
30. सीताराम पुत्र श्रीनारायण
31. बाबूलाल पुत्र श्रीनारायण
32. सुणाराम पुत्र श्रीनारायण
33. प्रभाती बेवा श्रीनारायण
34. पोखर पुत्र बीजा
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
35. गुल्ला पुत्र गंगाराम
36. मोहरू पुत्र गंगाराम
37. सुरजमल पुत्र गंगाराम
38. बनवारी पुत्र सुजाराम
39. प्रेम देवी पत्नी बनवारी लाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डिया तहसील आमेर जिला जयपुर ।
40. गोपी पुत्र भूरा जाति यादव ग्राम मुण्डिया तहसील आमेर जिला जयपुर
41. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला
42. उपपंजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर ।

...............प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 जाप्ता दीवानी सपठित आदेश 2 नियम 2 एवं 151 जाप्ता दीवानी</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– (1) श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2)श्री बनवारी शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी [illegible] 5 की ओर से
(3)श्री कुलदीप – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 से 11

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दिनांक:– 15.04.2025

निर्णय

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादीगण ने माननीय उपखंड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अंतर्गत धारा 128 संपठित धारा 111 एल0 आर0 एक्ट का यह कहते हुए प्रस्तुत किया था कि राजस्व ग्राम कल्याणपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर के हाल आराजी खसरा नंबर 88, 144 कुल किता 2 कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के पूर्वज सुरन्दर लाल पुत्र हुक्माराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। वादी मोहनलाल व अन्य उक्त भूमि का अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन मजामहत करने पर आमादा हो रहे थे। दिनांक 16.06.2015 को तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/2175 की अनुपालना में पडौसी खातेदारान् की मौजूदगी में सीमाज्ञान हो चुका है। जिस पर उपखंड अधिकारी आमेर उभयपक्ष सुनवाई का अवसर देते हुए प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेर को आदेशित किया कि नियमानुसार पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेर को आदेशित किया कि नियमानुसार पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करें। वादीगण प्रकरण का निस्तारण नहीं करना चाहते है और येनकेन प्रकारेण प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर मजामहत करने की कचेष्ठा करते रहते है और इसी उद्देश्य अनुसार न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के यहां एक वाद संख्या 50/2018 बउनवानी मोहनलाल बनाम शान्ति देवी प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तहसीलदार आमेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर न्याय पूर्ण निर्णय करते हुए रकबा बरारी में 0.07 हैक्टेयर भूमि वादीगण की कम मानते हुए वादीगण को प्रदत्त की हैं, और इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने के कारण प्रकरण को अंतिम निस्तारित किया जावे। वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य अंकित नहीं किये हैं। जिसके विरूद्ध वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील संख्या 418/2018 बउनवानी मोहनलाल बनाम शान्ति देवी प्रस्तुत की, जिस पर भी माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने स्पष्ट आदेश पारित किया वादीगण का प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं करना चाहते हैं। चुंकि सहायक कलक्टर आमेर ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह सही हैं। इसलिए वादीगण की अपील खारिज की जाती है। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण मात्र प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए येनकेन प्रकारेण उक्त वाद प्रस्तुत कर केवल मात्र भूमि को विवादित करने के उद्देश्य से उक्त वाद प्रस्तुत किया है विधि अनुसार वादीगण ने पूर्व वाद संख्या 50/2018 बउनवानी मोहनलाल बनाम शान्ति देवी प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में भी वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ होने के काबिले निरस्तनीय है। वादीगण येनकेन प्रकारेण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 14:12:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण को विलम्बित एवं विवादित करने के कुउद्देश्य से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। जिसका एक मात्र उद्देश प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को न्यायालय आदेश से पत्थरगढी नहीं करने देना मात्र है। वादीगण ने पत्थरगढी प्रार्थना पत्र में कतई कोई वाद के तथ्यों का अंकन नहीं किया है। इस कारण भी वादीगण का वाद क्लीन हैंड से प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण काबिले खारिज योग्य है। वादी का sustaintial cause of action, grossly delay and clearly vexatious and frivolous होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी. सी में खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि वादपत्र भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान की गई त्रुटियों व खातेदारी परिवर्तन करने के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है न कि, किसी प्रकार की पत्थरगढी के विरूद्ध पेश किया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। इस मद में यह उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 85 व 144 के बाबत् वाद मोहनलाल बनाम शांति का निर्णय किया जा चुका है। परंतु माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि, पूर्व में जो वाद पेश किया गया था। उसमें वादी द्वारा नया वाद खातेदारी अधिकारों के बाबत् प्रस्तुत करने के अधिकार सुरक्षित रखे गये थे तथा वाद कारण उत्पन्न होने का बिंदू वाद विचारण के बाद साक्ष्य लिये जाकर तय किया जाना है। प्रार्थी का मुख्य कथन रहा कि, पत्थरगढी नहीं करने के उद्देश्य से पेश किया है। जो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस तथा प्रत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण ने उपखंड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अंतर्गत धारा 128 संपठित धारा 111 एल0 आर0 एक्ट का प्रस्तुत किया था। दिनांक 16.06.2015 को तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/2175 की अनुपालना में पडौसी खातेदारान् की मौजूदगी में सीमाज्ञान हो चुका है। जिस पर उपखंड अधिकारी आमेर ने प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया गया। इसके बाद इस न्यायालय में एक वाद संख्या 50/2018 बउनवानी मोहनलाल बनाम शान्ति देवी प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पर न्यायालय ने उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तहसीलदार आमेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर न्याय पूर्ण निर्णय करते हुए रकबा ... 0.07 हैक्टेयर भूमि वादीगण की कम मानते हुए वादीगण को प्रदत्त की है, और ... अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अब कोई ... शेष नहीं रहने के कारण प्रकरण को अंतिम निस्तारित किया जावे। जिसके विरूद्ध वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील संख्या 418/2018 बउनवानी मोहनलाल बनाम शान्ति देवी प्रस्तुत की, जिस पर भी माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने सहायक कलक्टर आमेर ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर ... जयपुर

वह सही माना है। इसलिए वादीगण की अपील खारिज फरमा दी। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण मात्र वाद को विवादित करने के एवं लम्बित रखने के उद्देश्य से उक्त वाद प्रस्तुत किया है विधि अनुसार वादीगण ने पूर्व वाद संख्या 50/2018 बउनवानी मोहनलाल बनाम शान्ति देवी प्रस्तुत किया था। उक्त वाद भी विवादित खसरा नम्बरान से सबंधित था जिसमें प्रार्थी ने पूरे तथ्ये अंकित नहीं किये है जो कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 सीपीसी से बाधित है।

प्रस्तुत तर्को के आधार पर वादीगण ने वाद क्लीन हैंड (Clean) से प्रस्तुत नहीं किया है। अर्थात् वादी का sustaintial cause of action, grossly delay and clearly vexatious and frivolous होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी में खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त पूर्व वाद में पूर्ण तथ्ये भी अंकित नहीं किये है तथा इस वाद में तथ्य छिपाये है इस प्रकार यह वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 सीपीसी से बाधित है फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ (Barred by Law) साबित होने व वाद पत्र स्वच्छ हाथो (Clean Hand) से पेश नहीं करने तथा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 सीपीसी से बाधित होने पर पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर)

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 24/2019
बउनवानी – मदन बनाम केसर
निर्णय दिनांक – 15.04.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर, आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या –24/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक –30.01.2019

1. मदन लाल पुत्र पन्ना लाल
2. मोहन लाल पुत्र पन्ना लाल
3. सांवरमल पुत्र पन्ना लाल
4. श्रवण लाल पुत्र पन्ना लाल (फौत)
   4/1. धापा देवी पत्नी श्रवण
   4/2. महेश पुत्र श्रवण
   4/3 काना पुत्र श्रवण
   4/4 कंचन पुत्री श्रवण
5. घीसा लाल पुत्र पन्ना लाल
6. सुरज मल पुत्र पन्ना लाल
7. भागीरथ पुत्र पन्ना लाल समस्त जाति बागड़ा निवासी कल्याणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

बनाम

1. केसर पुत्र सुन्दर लाल बनाम
2. सत्यनारायण उर्फ दाना पुत्र सुन्दर लाल
3. भगवान सहाय पुत्र सुन्दर लाल
4. संतोष कुमार सुन्दर लाल
5. शान्ति पत्नी सुन्दर लाल (फौत)
6. रूडमल पुत्र रामेश्वर
7. रामपाल पुत्र रामेश्वर
8. कल्याण पुत्र भूरा
9. रामनिवास पुत्र भूरा
10. शंकर लाल पुत्र लक्ष्मण
11. भगवान सहाय पुत्र लक्ष्मण
12. छीतर पुत्र नरसा
13. कजोड पुत्र दुल्ला
14. रामदयाल पुत्र दुल्ला
15. ग्यारसी पत्नी दुल्ला
16. रामसहाय पुत्र बींजा
17. शंकर लाल पुत्र मुरली
18. गणपत पुत्र मुरली
19. मुकेश पुत्र मुरली
20. राजेन्द्र पुत्र मुरली
21. चौथू पुत्र भूरा (मृतक)
   21/1 गोमा देवी पत्नी चौथू
   जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील आमेर
   21/2 रामा पुत्री चौथू
   21/3 सुनिल पुत्र आंची पुत्री चौथू

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

21/4 सुभाष पुत्र आंची पुत्री चौथू जाति बागडा निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
22. तीजा पत्नी किशना
23. सीता देवी पुत्री किशन
24. सुनिता पुत्री किशन पत्नी गोपाल निवासी ग्राम सरणा तहसील कोटवाडा वाया खोराबिसल 302012 जयपुर ।
25. भागीरथ पुत्र किशन लाल
26. रामनारायण पुत्र किशन लाल
27. नरेन्द्र पुत्र किशन लाल
28. गजानन्द पुत्र किशन लाल
29. जगदीश पुत्र बींजा फौत
29/1. मंगली पत्नी जगदीश
29/2. प्रहलाद पुत्र जगदीश
29/3 रूडमल पुत्र जगदीश
29/4 राकेश पुत्र जगदीश
30. सीताराम पुत्र श्रीनारायण
31.. बाबूलाल पुत्र श्रीनारायण
32. सुणाराम पुत्र श्रीनारायण
33. प्रभाती बेवा श्रीनारायण
34. पोखर पुत्र बीजा
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
35. गुल्ला पुत्र गंगाराम
36. मोहरू पुत्र गंगाराम
37. सुरजमल पुत्र गंगाराम
38. बनवारी पुत्र सुजाराम
39. प्रेम देवी पत्नी बनवारी लाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डिया तहसील आमेर जिला जयपुर ।
40. गोपी पुत्र भूरा जाति यादव ग्राम मुण्डिया तहसील आमेर जिला जयपुर
41. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला
42. उपपंजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर ।

...............प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा खारिज किया जाता है। आज यह निर्णय मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 15.04.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:36 IST,
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 24 / 2019
बउनवानी – मदन बनाम केसर
निर्णय दिनांक – 15.04.2025

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	–	स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	–
स्टाम्प वजह सबूत	2 रूपये		स्टाम्प वजह सबूत	2 रूपये	
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested